

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::


भोपाल, दिनांक 20/06/2018

क्रमांक एफ 09-06/2018/सत्रह/मेडि-3 :: इस विभाग के आदेश क्रमांक 645/1720/2018/174-2, दिनांक 04.05.2018 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में असंगठित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत परिवारों के सदस्यों को लाभ देने हेतु सम्मिलित करने संबंधी आदेश, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश दिनांक 04.05.2018 के पालनार्थ जारी किये जाने के फलस्वरूप मंत्री परिषद् आदेश दिनांक 29.05.2018 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के उक्त आदेश का अनुसमर्थन किया गया है।

उपरोक्त के अलावा राज्य शासन द्वारा राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में प्रदेश के अन्य योजना के हितग्राहियों को सम्मिलित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिये गये हैं -

1. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के पात्र परिवारों की श्रेणी में निम्न संवर्गों को सम्मिलित किया जाता है :
 - (1) शिल्पकार एवं हस्तशिल्प कारीगर
 - (2) सामाजिक सुरक्षा योजना के पेंशनर
 - (3) वनाधिकार प्राप्त पट्टाधारी
 - (4) बीड़ी बनाने वाले मजदूर
 - (5) मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के समस्त हितग्राही
2. उक्त श्रेणी के पात्र हितग्राहियों के परिवारों को राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में चिन्हित बीमारियों के उपचार के लिए अधिकतम रुपये 2.00 लाख तक की राशि की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

..2..

नि.सहा./सं. 2 807

दिनांक 26/06/18

क्रमांक एफ 09-06/2018/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 20/06/2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, भोपाल ।
2. निज सचिव, मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग / चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल ।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
7. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
8. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
9. आयुक्त, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश भोपाल (आदेश वेवसाईट पर अपलोड करावें)।
10. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. मिशन संचालक, एनएचएम, मध्यप्रदेश भोपाल ।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश ।
13. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, संचालनालय, स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश ।
16. नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश ।
17. प्रबंध संचालक, लघु उद्योग निगम, मध्यप्रदेश ।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
19. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश ।
20. समस्त अधीक्षक, विशेष अस्पताल मध्यप्रदेश ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
21. आर्डर फाईल ।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार/कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय


आदेश

भोपाल, दिनांक 04 मई 2018

क्रमांक 645/1720/2018/170-2 राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में असंगठित श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत परिवारों के सदस्यों को लाभ देने हेतु सम्मिलित करता है।

02. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(कवीन्द्र कियोवत)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन


लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पु. क्रमांक 645/1720/2018/174-2

भोपाल, दिनांक 04 मई 2018

प्रतिलिपि:—सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक, मा. मंत्रीजी/राज्यमंत्रीजी, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग, श्रम विभाग, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, वन विभाग, आदिम जाति क्षेत्रिय विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
8. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल (कृपया आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें)
9. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र. भोपाल।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
12. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
14. समस्त, अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
15. समस्त, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
16. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
17. समस्त, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
18. प्रेस अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय (प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल)।



सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 646/1720/2018/170-2

भोपाल, दिनांक 04/05/2018

प्रति,

01. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।
02. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
03. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज अस्पताल, म.प्र.।
04. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
05. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्य प्रदेश।

विषय:- राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अन्तर्गत असंगठित श्रमिक संवर्ग को सम्मिलित कर लाभ दिये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- शासन आदेश क्रमांक 645/1720/2018/170-2 दिनांक 04 मई 2018.

==0==


विभाग द्वारा चिन्हित 21 गंभीर बीमारियों के निःशुल्क उपचार हेतु प्रदेश में राज्य बीमारी सहायता निधि योजना का क्रियाव्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों एवं समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत चिन्हित श्रमिक संवर्गों के परिवार के सदस्यों को इस योजना का लाभ प्रदाय किया जा रहा है। उक्त संदर्भित आदेश से अब असंगठित कर्मकार संवर्ग के पंजीकृत परिवारों के सदस्यों को भी राज्य बीमारी सहायता निधि योजना में सम्मिलित किया गया है।

02. मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम 2003 के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की कार्यवाही प्रचलित है तथा अब तक 02 करोड़ से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पंजीकृत असंगठित कर्मकारों की जानकारी www.shramiksewa.mp.gov.in पर उपलब्ध है। राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को राज्य बीमारी सहायता निधि के अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्रता होगी।

03. इच्छुक पंजीकृत असंगठित कर्मकार को स्वास्थ्य विभाग की बेबसाइट www.health.mp.gov.in पर राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए online आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते समय उन्हें अपना जीवित कर्मकार पंजीयन भी दर्ज करना होगा। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा कर्मकार पंजीयन का सत्यापन www.shramiksewa.mp.gov.in से किया जा सकता है।

04. राज्य बीमारी सहायता निधि योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा जारी शेष समस्त निर्देश इस श्रेणी के लाभार्थियों पर भी यथावत लागू होंगे।

04. योजनान्तर्गत चिन्हित बीमारियों के उपचार हेतु प्रदेश के अंदर एवं प्रदेश के बाहर एन.ए.बी. एच. से मान्यता प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय अस्पतालों को मान्यता दी गई है।


(कवीन्द्र कियावत)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, म.प्र. शासन।
2. विशेष सहायक, मान. मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, म0प्र0 शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा, मंत्रालय भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
8. महालेखाकार, म0प्र0 ग्वालियर।
9. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल। (कृपया परिपत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें)
10. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र. भोपाल।
12. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश
13. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
14. प्रेस अधिकारी, जनसंपर्क कार्यालय (प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल)


सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग